न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—11/2020 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयु फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजिकृत कार्यालय—19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।

———प्रार्थी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार पता—13, हरिजन मौहल्ला, पन्नीवाली, 14 एसडीपी, जिला श्रीगंगानगर एवं सोहनलाल पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार पता—गांव हांसलिया तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

   ——(मूल ऋणी)

2. पुष्पा देवी पत्नी श्री सोहनलाल जाति कुम्हार पता—वार्ड नं. 08 व 09 चक 12 एसपीएम, केवलवाली ढाणी जिला श्रीगंगानगर। ——(सह ऋणी)

3. श्योपत राम पुत्र श्री बीरबलराम पता—355 हनुमान मन्दिर, पोस्ट हांसलिया, 2 एलकेएस, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

   ——(प्रतिभू)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश   दिनांकः—26.11.2020

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) की ओर श्री पराग जैन वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.पूर्व में एयू फाईनेसर्स (इण्डिया) लि.के नाम से नॉन बैंकिग कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध थी जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर था जिसका नाम एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.कर दिया गया एवं इसकी बाबत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के जयपुर कार्यालय से नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिसके सीआईएन नं0 एल 36911 आरजे 1996 पीएलसी 011381 है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.के नाम से भारत में लधु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस सं0 एमयुएम 126 प्रदत किया गया एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 934 के धारा 42 की उपधारा 6 के खण्ड 'क' के अनुसारण में अधिनियम की दूसरी अनुसूचि में सम्मिलित करने की अधिसूचना दिनांक 18.9.2017 को जारी की गई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित हुई। इस प्रकार एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.जिसके द्वारा विपक्षीगण को ऋण सुविधा उपलब्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करवाई गई थी। वर्तमान मे एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.के नाम से कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर में स्थित व कार्यरत है। बैंक जो एक निगमित निकाय है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है।

अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.09.2015 को एग्रीमेन्ट फॉर लॉन एण्ड गारंटी के तहत 4,00,000/–रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्योरिटी के रूप में ग्राम पंचायत लखासर जिला श्रीगंगानगर द्वारा जारीशुदा सम्पत्ति आवासीय पटटा संख्या 14 साईज 1350 वर्गफुट यानि 30 गुणा 45 फुट जो ग्राम हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, दिनांक 24.01.1975 को बंतासिंह पुत्र श्री मल सिंह जाति जटसिख निवासी हांसलिया को जारी किया था। उक्त भूखण्ड बंता सिंह ने अपने पुत्र जसपाल सिंह पुत्र श्री बंता सिंह जाति जटसिख निवासी–हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को दिनांक 15.06.2015 को गिफ्ट डीड कर दिया। उक्त आवासिय प्लॉट दिनांक 17.06.2015 को जसपाल सिंह द्वारा सोहनलाल पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी– चक 9 एसपीएम, हाल आबाद हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को विक्रय कर दिया जो दिनांक 17.06.2015 को सब–रजिस्ट्रार गोलूवाला द्वारा सोहनलाल के पक्ष में पंजीकृत है जिसको अप्रार्थी संख्या 1 सोहनलाल व अन्य अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 31.10.2018 को ऋणी के खाता को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 3,71,670/–रूपये (अखरे तीन लाख ईकहेतर हजार छः सौ सत्तर रूपये) तथा बकाया रकम, ब्याज, शास्तियॉ व अन्य खर्चे दिनांक 01.03.2019 तक शेष व देय निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 02.03.2019 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जो अप्रार्थीगण को दिनांक 06.3.2019 प्राप्त हो गया है। प्रार्थी बैंक ने धारा 13 (2) के अन्तर्गत उक्त नोटिस की मांग सूचना पत्र समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 20.04.2019 को प्रकाशित करवाये गये। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 1 के पते में सुधार करते हुए पुनः शुद्धी पत्र दिनांक 30.09.2019 को धारा 13(2) को नोटिस दिनांक 05.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को भिजवाया गया जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने मियाद अवधि 60 दिवस समाप्ति के पश्चात भी प्रार्थी बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक को उसके पास बंधक रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना तथा दो अखबारो में मांग सूचना प्रकाशित होना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

जिला कलक्टर ... हनुमानगढ़

की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी उक्त सम्पत्ति ग्राम पंचायत लखासर जिला श्रीगंगानगर द्वारा जारीशुदा आवासीय पटटा संख्या 14 साईज 1350 वर्गफुट यानि 30 गुणा 45 फुट जो ग्राम हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, दिनांक 24.01.1975 को बंतासिंह पुत्र श्री मल सिंह जाति जटसिख निवासी हांसलिया को जारी किया था। उक्त भूखण्ड बंता सिंह ने अपने पुत्र जसपाल सिंह पुत्र श्री बंता सिंह जाति जटसिख निवासी–हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को दिनांक 15.06.2015 को गिफ्ट डीड कर दिया। उक्त आवासिय प्लॉट दिनांक 17.06.2015 को जसपाल सिंह द्वारा सोहनलाल पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी–चक 9 एसपीएम, हाल आबाद हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को विक्रय कर दिया जो दिनांक 17.06.2015 को सब–रजिस्ट्रार गोलूवाला द्वारा सोहनलाल के पक्ष में पंजीकृत है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.(पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.(पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) को उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.(पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि.के नाम से जाना जाता था) को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से क्रम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़